राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2025–26/अलेसे–II/371 दिनांकः– 23/1/2026

आदेश संख्या 495/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति डी.पी.सी. वर्ष 2014–15 की बैठक दिनांक 27.08.2014 की सिफारिशों के आधार पर श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता,कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट संख्या 148/1992 जन्मतिथि 05.04.1969) का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु श्री गुप्ता के विरूद्ध पुलिस थाना,महावीर नगर कोटा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 110/17.02.2012 अंतर्गत धारा 143,323,327,354,365, एवं 452 आई.पी.सी. में दर्ज होने के कारण एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के फलस्वरूप निलम्बन तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति नतीजे का बन्द लिफाफा किये जाने की अनुशंषा की गई।

श्री गुप्ता के विरूद्ध पुलिस थाना,महावीर नगर कोटा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 110/17.02.2012 अंतर्गत धारा 143,323,327,354,365, एवं 452 आई.पी.सी. में दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2024 द्वारा श्री गुप्ता को धारा 12 परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया गया कि वे इस दोषसिद्धि से किसी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रसित नही होगें। विभागीय आदेश क्रमांक 12068–77 दिनांक 16.11.2015 द्वारा श्री गुप्ता को निलम्बन से बहाल कर दिया गया तथा विभागीय आदेश 5537–45 दिनांक 11.03.2025 द्वारा निलम्बन अवधि को समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना योग्य माना गया है।

श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता को सभी आरोपों से उन्मोचित करते हुए प्रकरण समाप्त किये जाने के फलस्वरूप इनकी पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे–4200 में स्थानापन्न रूप से की जाती है। इनकी वरिष्ठता श्री किशनलाल जाट एवं श्री श्रीकिशन पुरोहित के मध्य रहेगी।

श्री गुप्ता उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II में क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें।

श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन वर्ष 2014–15 से इस आदेश की पालना में इस आदेश दिनांक तक पदोन्नति पद का वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा। वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से ही देय होंगे।

22/1/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2025–26/अलेसे–II/371 दिनांकः– 23/1/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संबंधित कार्मिक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)